

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

[10/3/2017]


प्रश्न सं. [क. 5383]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5383

परिशिष्ट-1

(इन्दौर संभाग में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों की जानकारी)

क.	राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।	जांच का प्रकार	जांच प्रारंभ की तिथि	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	वर्तमान पदस्था पना	एक या अधिक पदों का प्रभार वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री महेश बड़ोले, तत्कालीन तहसीलदार, बुरहानपुर डिप्टी कलेक्टर, बड़वानी	तहसीलदार, बुरहानपुर के पद पर रहते हुए अधिकांश राजसव प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया एवं नियमों का पालन न करते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैध तरीके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचा कर शासन को स्टाम्प ड्यूटी की हानि होने बाबत।	20.04.16	विभागीय जांच अधिकारी, कलेक्टर बुरहानपुर का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।	बड़वानी	श्री महेश बड़ोले डिप्टी कलेक्टर बड़वानी के पास एस.डी.एम का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक कारणों से।
2.	श्रीमती एकता जायसवाल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, आगर मालवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आगर-मालवा के पद पर पदस्थिति के दौरान ग्राम छावनी आगर की बेशकीमती शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 210/6 रकबा 0.042 हैक्टर का अवैधानिक रूप से नामांतरण कराने, संबंधी प्रकरण का स्वविवेक के आधार पर नस्तीबद्ध किए जाने की अनियमितता के संबंध में।	कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3.3.14	"एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव" से रोकने की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में अनंतिम प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर लोक सेवा आयोग के अभिमत हेतु भेजा गया है।	धार	---
3.	श्री मोहनलाल आर्य, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, बांधवगढ़	डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, बांधवगढ़ के पद पर रहते हुए वाहन किराये पर लेने संबंधी की गई अनियमितता के संबंध में	02.06.15	जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री आर्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर आयुक्त शहडोल से विभागीय पत्र दिनांक 16.11.16 द्वारा अभिमत चाहा गया है।	बुरहानपुर	---
4.	श्री जयेन्द्र कुमार विजयव, तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर	संयुक्त कलेक्टर के पद पर रहते हुए आर्म्स शाखा के प्रभारी अधिकारी के रूप में अनाधिक रूप से लायसेंस रिन्यू संबंधी 14 प्रकरणों में की गई अनियमितता के संबंध में।	09.02.16	आरोपों के संबंध में श्री विजयवत द्वारा प्रस्तुत जबाब पर आयुक्त, ग्वालियर का अभिमत चाहा गया है।	बड़वानी	---



अवर-सचिव "कार्मिक"

स.प्र. शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (क-2)

पंजाब, चण्डीगढ़, भारत


5	श्री बी.एस. सोलंकी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नगर परिषद धरमपुरी जिला धार	अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नगर परिषद धरमपुरी जिला धार के पद पर रहते हुए सामग्री कया में की गई अनियमितता के संबंध में।	3.10.16	आरोपों के संबंध में श्री सोलंकी द्वारा प्रस्तुत जबाब पर नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का अभिमत चाहा गया है।	खरगौन	--
6	श्री दारासिंह ठाकरे	श्री ठाकरे के विरुद्ध दो अलग-अलग प्रकरणों में आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर दिनांक 21.1.15 एवं 29.03.16 को आरोप पत्र जारी किए गये है।	21.01.15 29.03.16	अपर कलेक्टर छिंदवाड़ा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	बड़वानी	--

(इन्दौर संभाग में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों की लोकायुक्त प्रकरणों की जानकारी)

जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(इन्दौर संभाग में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों ई.ओ.डब्ल्यू की जानकारी)

निरंक


अवर सचिव "कार्मिक"
 म.प्र. शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2)
 मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल